

# आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, 8-ए, बंगाली लाईंब्रेरी रोड, देहरादून

## मैनुअल — एक

[सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा—4(1)(ख)(i)]

## संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य

### खाद्य एवं रसद विभाग के गठन की पृष्ठभूमि

खाद्यान्नों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण ब्रिटिश शासन काल में सर्वप्रथम वर्ष 1941 में बम्बई नगर के उपभोक्ताओं को समान रूप से खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गयी थी। अकाल व बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं के समय खाद्यान्न प्रबन्धन की राष्ट्रीय नीति को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली ही एक मात्र उपाय थी।

वर्ष 1940–42 की अवधि में मूल्य नियंत्रण विषयक कई सम्मेलन हुये एवं छठी मूल्य नियंत्रण कान्फ्रेंस, जो सितम्बर 1942 में सम्पन्न हुई, में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल सिद्धान्तों को निर्धारित किया गया। इस प्रकार सितम्बर, 1942 को खाद्य विभाग अस्तित्व में आया एवं खाद्यान्नों की खरीद, जन वितरण कार्य, निरीक्षण एवं संग्रह कार्य आदि के बारे में सरकार द्वारा नीति निर्धारित की गयी। तत्समय अस्तित्व में आई जन वितरण नीति का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्नों के मूल्य का स्टैबलाइजेशन था।

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में खाद्यान्नों की मूल्य वृद्धि के कारण एवं खाद्यान्न उपलब्धता की बिगड़ती हुई दशा में सुधार लाने के उद्देश्य से वर्ष 1943 में फूड ग्रेन्स पॉलिसी कमेटी ने एक लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय क्षेत्रों में राशन व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की थी। परिणाम स्वरूप तत्समय खाद्यान्न वितरण केवल नगरीय क्षेत्र तक ही सीमित था। कालान्तर में खाद्यान्न नियंत्रण नीति परिवर्तित होती रही। वर्ष 1948 में लागू की गयी खाद्यान्न नियंत्रण नीति वर्ष 1952–54 में निष्प्रभावी कर दी गयी तथा वर्ष 1957 में पुनः प्रभावी हुई। फूड ग्रेन्स इन्चवायरी कमेटी (अशोक मेहता कमेटी रिपोर्ट 1957) ने वर्ष 1957 में अप्रत्यक्ष एवं उदार नियंत्रण का तर्क प्रस्तुत करते हुये अधिक सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं की दुकानें खोले जाने, सरप्लस एवं डैफिसिट क्षेत्रों

को एक जोन में लाने एवं प्रत्येक जोन में मूल्य नियंत्रण लागू/निर्धारित करने की सिफारिश की।

सम्पूर्ण भारत में हरित क्रांति के उपरान्त खाद्यान्न प्रबन्धन में नये आयाम आये। अतः खाद्यान्न उत्पादकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त कराने के उद्देश्य से मूल्य समर्थन योजना, बफर स्टॉक रखने की व्यवस्था, बाजार दरों पर नियंत्रण एवं आवश्यक वस्तुओं के वितरण जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया। आवश्यक वस्तु अधिनियम—1955 की धारा—3 के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा जनता को उचित दर पर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिये केन्द्र सरकार की पूर्व सहमति से समय—समय पर खाद्यान्न नियंत्रण आदेश जारी किये जाते रहे हैं।

किन्तु वर्तमान में भारत सरकार के असाधारण गजट सं0—285 भाग—II—खण्ड—3—उप खण्ड (1) दिनांक 16, जून, 2003 द्वारा भारत सरकार ने गेहूँ धान/चावल, मोटा अनाज, चीनी, खाद्य तिलहन, खाद्य तेल, दालें, गुड़ गेहूँ उत्पाद (मैदा, रवा, सूजी, आटा, परिणामी, आटा और चोकर) तथा हाईझोजनीकृत वनस्पति तेल या वनस्पति का क्रय, भण्डार, विक्रय, परिवहन, वितरण, निपटान, अर्जन, उपयोग, उपभोग आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन जारी किये गये सभी नियंत्रण आदेशों से मुक्त कर दिया गया है।

### संयुक्त प्रान्त में खाद्य एवं रसद विभाग का गठन

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं उनको उचित मूल्य पर उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से संयुक्त प्रान्त में “नागरिक आपूर्ति एवं राशनिंग विभाग” की स्थापना की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर वर्ष 1946 में उपरोक्त दोनों विभागों का संविलियन कर प्रथम बार ‘खाद्य तथा रसद विभाग’ की स्थापना की गई तथा आयुक्त, नागरिक आपूर्ति एवं आयुक्त, राशनिंग को ‘सचिव’ खाद्य तथा रसद विभाग के अधीन कर दिया गया। वर्ष 1947 में पुनः पुर्नगठन करते हुए सचिव एवं आयुक्त के पद को एक कर दिया गया।

शनैः—शनैः: विभाग के विस्तार एवं कार्यवृद्धि एवं “विभागाध्यक्ष” की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पूर्णकालिक आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग के पद का सृजन 20 अप्रैल 1967 को किया गया, लेकिन उक्त व्यवस्था अगस्त 1967 को पुनः समाप्त कर दी गई और आयुक्त के पद को पुनः सचिव के पद के साथ मिलाकर एक कर दिया गया।


उत्तर प्रदेश में वर्ष 1973 में पृथक रूप से खाद्य आयुक्त कार्यालय की स्थापना की गई, परन्तु सचिव एवं आयुक्त का पद एक ही रहा। अप्रैल 1981 में खाद्य आयुक्त के स्थान पर अल्प अवधि के लिए निदेशक की तैनाती भी की गई परन्तु यह व्यवस्था भी जुलाई 1981 तक सीमित रही। तदोपरान्त उत्तर प्रदेश में वर्ष 1981 से लगातार खाद्य आयुक्त कार्यालय कार्यरत है। वर्ष 1997 से पृथक रूप से खाद्य आयुक्त के पद पर पूर्ण कालिक अधिकारी की तैनाती की गई तथा उक्त व्यवस्था उत्तराखण्ड राज्य के गठन तक प्रभावी रही, जिसके अन्तर्गत विभागाध्यक्ष के रूप में “खाद्य आयुक्त” तथा शासन स्तर पर “प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य तथा रसद” कार्यरत थे।



## उत्तर प्रदेश में खाद्य एवं रसद विभाग का प्रशासनिक ढाँचा

नवम्बर, 2000 में उत्तराखण्ड राज्य के गठन के समय उत्तर प्रदेश में खाद्य तथा रसद विभाग का संगठनात्मक ढाँचा निम्नवत् था :—

### संगठनात्मक ढाँचा



**उत्तर प्रदेश शासन के अधीन उत्तराखण्ड राज्य के गठन के समय खाद्य एवं रसद विभाग का प्रशासनिक ढाँचा, स्वीकृत पद और कार्यरत कार्मिक**

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लागू पर्वतीय उपसंवर्ग सेवा नियमावली, 1992 के अन्तर्गत खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा पर्वतीय उपसंवर्ग के निम्न पद स्वीकृत किये गये थे, जिनके सापेक्ष उत्तराखण्ड राज्य गठन के समय कार्यरत कार्मिकों की संख्या निम्न कॉलम-5 अनुसार थी :—

**विपणन शाखा :— समूह—ग**

क्र0सं0	संवर्ग / पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	नवम्बर, 2000 में कार्यरत कार्मिक
1	2	3	4	5
01—	वरिष्ठ विपणन निरीक्षक	5000—8000	43	39
02—	विपणन निरीक्षक	4500—7000	120	72
03—	वरिष्ठ सहायक	4500—7000	10	07
04—	वरिष्ठ लिपिक	4000—6000	10	09
05—	आशु लिपिक	4000—6000	04	04
06—	रिकार्ड कीपर	4000—6000	02	02
07—	सहायक लेखाकार	4000—6000	05	—
08—	ज्येष्ठ लेखा लिपिक	4000—6000	03	02
09—	कनिष्ठ लिपिक	3050—4590	48	38
10—	कनिष्ठ लेखा लिपिक	3050—4590	01	—
<b>समूह—घ</b>				
11—	चालक	3050—4590	05	05
12—	विपणन सहायक (कामदार)	2750—4400	117	67
13—	चपरासी / हैल्पर	2550—3200	33	31
14—	चौकीदार	2550—3200	36	34
15—	दफतरी	2610—3540	02	02
16—	वाटर मैन	2550—3200	02	02
17—	स्वीपर	2550—3200	02	02
	योग		443	316

**आपूर्ति शाखा :— समूह—ग**


क्र0सं0	संवर्ग / पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	नवम्बर, 2000 में कार्यरत कार्मिक
1	2	3	4	5
01—	वरिष्ठ निरीक्षक		14	14
02—	पूर्ति निरीक्षक		224	105
03—	वरिष्ठ सहायक		12	08
04—	सहायक लेखाकार		09	02
05—	लेखा लिपिक		15	06
06—	आशु लिपिक		09	09
07—	लिपिक		110	110

1	2	3	4	5
<b>समूह- घ</b>				
08-	चालक		09	08
09-	चपरासी / अर्दली / पल्लेदार		248	160
	योग		650	422

लेखा शाखा :- समूह- ग

क्र0सं0	संवर्ग / पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	नवम्बर, 2000 में कार्यरत कार्मिक
1	2	3	4	5
01-	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक		07	01
02-	लेखा परीक्षक		02	02
03-	लेखाकार		12	08
04-	सहायक लेखाकार		03	—
05-	लेखा लिपिक		13	08
06-	कनिष्ठ लेखा लिपिक		08	07
<b>समूह- घ</b>				
07-	चपरासी		05	05
	योग		50	31
	महायोग (विपणन + आपूर्ति +लेखाशाखा)		1143	769

उपरोक्तानुसार उत्तराखण्ड राज्य गठन के समय उत्तराखण्ड में खाद्य एवं रसद विभाग का प्रशासनिक ढाँचा निम्नानुसार था :-



## उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृत आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का प्रशासनिक ढाँचा

उत्तराखण्ड शासन द्वारा खाद्य एवं रसद विभाग का नामकरण खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग कर शासनादेश संख्या—14/खाद्य/वि0ढाँचा/202 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, देहरादून दिनांक 05–08–2002 एवं शासनादेशसंख्या—1145/XIX /वि0ढाँचा/06–132/2002 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग—1 देहरादून दिनांक 14–09–2006 के द्वारा विभाग का प्रशासनिक ढाँचा निम्नवत् स्वीकृत किया गया :—

### (अ) विभागाध्यक्ष स्तर

क्र. सं.	पदनाम	वेतनमान (₹० में)	पूर्व में स्वीकृत पदों की संख्या	अतिरिक्त नियमित पदों की संख्या	कुल पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	आयुक्त	संवर्ग अनुसार	01	--	1	I.A.S.
2.	अपर आयुक्त	संवर्ग अनुसार	01	--	1	P.C.S
3.	उपायुक्त	12000–375–16500	--	01	1	विभागीय
4.	वित्त नियंत्रक,	संवर्ग अनुसार	01	--	1	वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग
5.	मुख्य विपणन अधिकारी	10000–325–15200	01	--	1	--
6.	सहायक आयुक्त	10000–325–15200	01	--	1	--
7.	सहायक लेखाधिकारी	7450–225–11500	01	--	1	--
8.	वैयक्तिक सहायक	6500–200–10500	01	--	1	--
9.	प्रशासनिक अधिकारी—।	5500–175–9000	01	--	1	--
10.	वरिष्ठ विपणन निरीक्षक	5000–150–8000	--	01	1	--
11.	वरिष्ठ पूर्ति निरीक्षक	5000–150–8000	--	01	1	--
12.	मुख्य सहायक	4500–125–7000	01	02	3	--
13.	सहायक लेखाकार	4500–125–7000	01	--	1	--
14.	आशुलिपिक	4000–100–6000	04	--	4	--
15.	प्रवर सहायक	4000–100–6000	--	03	3	--
16.	कनिष्ठ सहायक सह कम्प्यूटर आपरेटर	3050–75–3950–80 –4590	--	04	4	--
17.	वाहन चालक	3050–75–3950–80 –4590	01	--	1	--
18.	दफतरी	2610–60–3150–65 3540	--	01	1	--
19.	अनुसेवक	2550–55–2660–60 –3200	06	1	7	--
<b>योग</b>			<b>21</b>	<b>14</b>	<b>35</b>	

\* वाहन स्वीकृत होने पर चालक का पद स्वीकृत किया जायेगा।

(इ) कार्यालय खाद्य आयुक्त (लेखा शाखा)

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान (रु० मे०)	पूर्व में स्वीकृत पदों की संख्या	अतिरिक्त नियमित पदों की संख्या	कुल पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	6	7	8
1.	सहायक लेखाधिकारी	7450–225–11500	01	—	01	—
2.	लेखाकार	5500–175–9000	02	01	03	—
3.	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	5500–175–9000	02	01	03	—
4.	आशुलिपिक कम कम्प्यूटर आपरेटर	4000–100–6000	—	01	01	—
5.	सहायक लेखाकार	4500–125–7000	01	02	03	—
6.	लेखा परीक्षक / सम्रेक्षक	4500–125–7000	01	03	04	—
7.	कनिष्ठ सहायक / टंकक / डाटा एंट्री आपरेटर	3050–75–3950–80–4590	—	01	01	—
8.	अनुसेवक	2550–55–2660–60–3200	01	01	02	—
योग			08	10	18	

उपरोक्त आदेश के अनुसार खाद्य आयुक्त की नियुक्ति तक सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति का पद पदेन धारण करेंगे। इसी प्रकार अपर आयुक्त, खाद्य की नियुक्ति तक अपर सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, अपर आयुक्त, खाद्य का पद पदेन धारण करेंगे। अपर आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नियंत्रक विधिक माप विज्ञान तथा निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण फोरम का पद भी धारण करेंगे। उप नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान के पद को विभागीय प्रोन्नति से भरा जायेगा।

(ब) खाद्य आयुक्त कार्यालय – विधि प्रकोष्ठ

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान (रु० मे०)	पूर्व में स्वीकृत पदों की संख्या	अतिरिक्त नियमित पदों की संख्या	कुल पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	जिला पूर्ति अधिकारी ग्रेड-1	6500–200–10500	—	01	01	—
2.	कनिष्ठ सहायक सह कम्प्यूटर आपरेटर	3050–75–3950–80–4590	—	01	01	—
3.	वरिष्ठ पूर्ति निरीक्षक	5000–150–8000	—	01	01	—

4.	अनुसेवक	2550-55-2660-60-3200	--	01	01	--
	योग		--	04	04	--

विभाग में प्रचलित लिटीगेशन के संबंध में मा० न्यायालयों में पैरवी / निस्तारण के दृष्टिगत उक्त पदों का सूजन किया गया है।

(ख) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की विपणन शाखा

पदनाम / वेतनमान	पूर्व में सम्भागवार स्वीकृत किये गये पदों की संख्या		योग	अतिरिक्त नियमित पदों की संख्या			कुल पदों की संख्या	अभ्युक्ति
	गढ़वाल	कुमाऊँ		गढ़वाल	कुमाऊँ	योग		
01	02	03	04	05	06	07	08	09
सम्भागीय खाद्य नियंत्रक	01	01	02	--	--	--	02	P.C.S संवर्ग से
सम्भागीय विपणन अधिकारी रु. 8000-275-13500	01	01	02	--	--	--	02	
उपसम्भागीय विपणन अधिकारी रु. 6500-200-10500	03	04	07	--	--	--	07	
वरिष्ठ विपणन निरीक्षक रु. 5000-150-8000	14	26	40	02	04	06	46	
विपणन निरीक्षक रु. 4500-125-7000	30	90	120	02	04	06	126	
मुख्य सहायक रु. 4500-125-7000	02	02	04	01	01	02	06	
प्रवर सहायक रु. 4000-100-6000	02	02	04	03	03	06	10	
आशुलिपिक रु. 4000-100-6000	01	01	02	01	01	02	04	
अभिलेखपाल रु. 4000-100-6000	--	--	--	01	01	02	02	
कनिष्ठ सहायक सह कम्प्यूटर आपरेटर रु. 3050-75-3950-80-4590	08	10	18	09	10	19	37	
चालक रु. 3050-75-3950-80-4590	02	03	05	--	--	--	05	वाहन स्वीकृत होने पर वाहन चालक का पद स्वीकृत किया जायेगा।

01	02	03	04	05	06	07	08	09
दफतरी रु. 2610-60-3150-65-3540	01	01	02	—	—	—	02	
विपणन सहायक/ रु. 2750-70-3800-75-4400	20	40	60	—	—	—	60	
अनुसेवक रु. 2550-55-2660-60-3200	08	08	16	02	03	05	21	
गोदाम चौकीदार रु. 2550-55-2660-60-3200	20	22	42	—	—	—	42	
कार्यालय चौकीदार रु. 2550-55-2660-60-3200	—	—	—	01	01	02	02	आऊट सोर्सिंग
वाटर मैन रु. 2550-55-2660-60-3200	01	01	02	—	—	—	02	संविदा पर
स्वीपर रु. 2550-55-2660-60-3200	01	01	02	—	—	—	02	संविदा पर
<b>योग</b>	<b>115</b>	<b>213</b>	<b>328</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>50</b>	<b>378</b>	

उप सम्भागीय विपणन अधिकारी के स्वीकृत 07 पदों के विरुद्ध उनके तैनाती स्थान/जनपद कुमांऊ सम्भाग में हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर तथा सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, कुमांऊ सम्भाग के मुख्यालय हल्द्वानी होंगे तथा गढ़वाल सम्भाग में देहरादून, हरिद्वार एवं पौडी गढ़वाल होंगे।

विपणन शाखा के अन्तर्गत चौकीदार, वाटरमैन एवं स्वीपर के पद का संवर्ग मृत घोषित किया गया है, तथा इन पदों पर होने वाली रिक्तियों के सापेक्ष नियुक्तियां संविदा के आधार पर की जायेंगी।

#### (ग) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आपूर्ति शाखा (जिला स्तर पर)

पदनाम/ वेतनमान	स्वीकृत/ प्रस्तावित पद	पद क्र.	जनपदों के नाम												
			देहरादून	हरिद्वार	बैली	पौडी	टिहरी	उत्तरकाशी	रुद्रप्रयाग	नैनीताल	फिरोजाग	बागेश्वर	चम्पावत	उत्तराखण्ड	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
जिलापूर्ति अधिकारी ग्रेड-I रु.(8000-275-13500)	स्वीकृत	04	किसी भी जनपद में तैनात किये जा सकते हैं												
जिलापूर्ति अधिकारी ग्रेड-II रु. (6500-200-10500)	स्वीकृत	09	किसी भी जनपद में तैनात किये जा सकते हैं।												
क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी रु. (5500-175-9000)	स्वीकृत	13	प्रत्येक जनपद में एक-एक पद सूजित												
वरिष्ठ पूर्ति निरीक्षक रु. (5000-150-8000)	स्वीकृत	13	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	अतिरिक्त	32	04	03	02	04	02	01	01	04	02	01	01	06	01
संशोधित पद संख्या		45	05	04	03	05	03	02	02	05	03	02	02	07	02

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
पूर्ति निरीक्षक रु. (4500–125–7000)	स्वीकृत	213	12	8	17	24	33	14	10	10	24	19	08	10	24
	अतिरिक्त	27	03	03	02	02	02	02	02	02	02	01	01	03	02
संशोधित पद		240	15	11	19	26	35	16	12	12	26	20	09	13	26
मुख्य सहायक/वरिष्ठ एन्ट्री आपरेटर रु. (4500–125–7000)	स्वीकृत	13													
आशुलिपिक/ कम्पयूटर आपरेटर रु. (4000–100–6000)	स्वीकृत	13													
सहायक लेखाकार रु. (4500–125–7000)	स्वीकृत	13													
कनिष्ठ सहायक/ डाटा एन्ट्री आपरेटर रु (3050–75–3950–80– 4590)	स्वीकृत	146	13	12	10	12	11	11	10	12	11	11	10	11	12
चालक रु(3050–75–3950–80 –4590)	स्वीकृत	13													
दफतरी रु (2610–60–3150–65– 3540)	स्वीकृत	14	02	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
अनुसेवक रु (2550–60–3150–65– 3200)	अतिरिक्त पद	13	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
चौकीदार/ चतुर्थ श्रेणी रु. (2550–55–2660–60– 3200)	स्वीकृत	191	08	01	17	23	33	13	10	04	24	19	07	09	23
योग		191	08	01	17	23	33	13	10	04	24	19	07	09	23
कुल योग	स्वीकृत पद	655	42	29	52	67	85	46	38	34	67	57	33	38	67
	अतिरिक्त पद	72	08	07	05	07	05	04	04	07	05	03	03	10	04
महायोग		727	50	36	57	74	90	50	42	41	72	60	36	48	71

जिला पूर्ति अधिकारी के 04 पद ग्रेड-1 वेतनमान 8000–13500 तथा जिला पूर्ति अधिकारी ग्रेड-2 वेतनमान 6500–10500 में 09 पद स्वीकृत किये जा रहे हैं। जिनकी तैनाती किसी भी जनपद में की जा सकती है।

चौकीदार के पद का संवर्ग मृत घोषित किया गया है तथा इन पदों पर होने वाली रिक्तियों के सापेक्ष नियुक्तियां संविदा/आऊट सोर्सिंग के आधार पर की जायेगी।

**(घ) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आपूर्ति शाखा (सम्भाग स्तर पर)**

क्र0स0	जनपदीय कार्यालय/वेतनमान	पूर्व में स्वीकृत पदों की संख्या	अतिरिक्त नियमित पदों की संख्या	कुल पदों की संख्या	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06
1.	सहायक आयुक्त खाद्य रु. 10000–325–15200	02	--	02	
2.	वरिष्ठ पूर्ति निरीक्षक रु. 5000–150–8000	—	02	02	
3.	मुख्य सहायक रु. 4500–125–7000	—	02	02	
4.	आशुलिपिक / सह कम्प्यूटर ऑपरेटर रु. 4000–100–6000	—	02	02	
5.	कनिष्ठ सहायक कम कम्प्यूटर ऑपरेटर रु. 3050–75–3950–80–4590	02	02	04	
6.	चालक रु. 3050–75–3950–80–4590	02	--	02	
7.	अनुसेवक रु. 2550–55–2660–60–3200	02	--	02	
योग		08	08	16	

\* पूर्ति निरीक्षक पूर्व में स्वीकृत पद के स्थान पर वरिष्ठ पूर्ति निरीक्षक (रु0 5000–8000) का पद रखा गया है इसलिए पूर्ति निरीक्षक का पद अस्वीकृत किया गया है।

(ड.) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की लेखा शाखा (सम्भाग स्तर पर)

क्र० सं०	पदनाम / वेतनमान	विभागीय ढाँचे में उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृत पद		कुल संख्या	अतिरिक्त नियमित पदों की संख्या			कुल पद
		गढ़वाल	कुमाऊँ		गढ़वाल	कुमाऊँ	योग	
01	02	03	04	05	06	07	08	09
1.	वरिष्ठ सम्भागीय वित्त अधिकारी / रु. 10000—325—15200	01	01	02	—	—	—	02
2.	सहायक लेखाधिकारी रु. 7450—225—11500	01	01	02	—	—	—	02
3..	लेखाकार रु. 5500—175—9000	03	03	06	—	—	—	06
4.	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक रु. 5500—175—9000	02	02	04	—	—	—	04
5.	लेखा परीक्षक रु. 4500—125—7000	02	02	04	01	01	02	06
6.	सहायक लेखाकार रु. 4500—125—7000	05	05	10	—	—	—	10
7.	कनिष्ठ सहायक लेखा / डाटा एन्ट्री ऑपरेटर रु. 3050—75—3950—80—4590	02	02	04	—	—	—	04
8.	अनुसेवक रु. 2550—55—2660—60—3200	02	02	04	—	—	—	04
योग		18	18	36	01	01	02	38


\* वरिष्ठ सम्प्रेक्षक का नाम ज्येष्ठ लेखा परीक्षक / सम्प्रेक्षक का नाम लेखा परीक्षक किया गया है।

उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के नियंत्रणाधीन मुख्यालय, सम्भाग व जनपद स्तर के लिये स्वीकृत प्रशासनिक ढाँचे के अन्तर्गत निम्न पद स्वीकृत हैं :—

विभागाध्यक्ष स्तर	:—	35 पद
कार्यालय खाद्यायुक्त (लेखा शाखा)	:—	18 पद
खाद्यायुक्त कार्यालय (विधि प्रकोष्ठ)	:—	04 पद
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की विपणन शाखा	:—	378 पद
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आपूर्ति शाखा (जिला स्तर)	:—	727 पद
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आपूर्ति शाखा (सम्भाग स्तर)	:—	16 पद
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की लेखा शाखा (सम्भाग स्तर)	:—	38 पद
योग	:—	1216 पद

उपरोक्त शासनादेशों की प्रति इस मैनूअल के साथ संलग्न है।

वर्तमान में आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड का संगठनात्मक ढाँचा निम्नानुसार है :—



**आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के मुख्यालय, सम्भागीय व जिला कार्यालायों का पता व दूरभाष संख्या**

आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के मुख्यालय, सम्भागीय व जिला कार्यालायों का पता व दूरभाष संख्या निम्नवत है :-

क्र0सं0	कार्यालय का पता	दूरभाष / फैक्स संख्या
1.	आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, 8-ए बंगली लाइब्रेरी रोड़, करनपुर, देहरादून।	0135 – 2740765 0135 – 2740778
2.	वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, 8-ए बंगली लाइब्रेरी रोड, करनपुर, देहरादून।	0135 – 2741390
3.	सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गढ़वाल सम्भाग, काँवली रोड, देहरादून।	0135 – 2722897 0135 – 2720574
4.	सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, कुमाऊँ सम्भाग, नवीन मण्डी, हल्द्वानी, नैनीताल।	05946 – 246046 05946 – 246051
5.	सहायक आयुक्त (खाद्य), गढ़वाल सम्भाग, पौड़ी गढ़वाल।	—
6.	सहायक आयुक्त (खाद्य), कुमाऊँ सम्भाग, हल्द्वानी।	05946–220999
7.	जिला पूर्ति अधिकारी, देहरादून।	0135–2653724
8.	जिला पूर्ति अधिकारी, टिहरी।	01376–232160
9.	जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी।	01374–223839
10.	जिला पूर्ति अधिकारी, रुद्रप्रयाग।	01364–233889
11.	जिला पूर्ति अधिकारी, चमोली।	01372–253799
12.	जिला पूर्ति अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।	01368–222903
13.	जिला पूर्ति अधिकारी, हरिद्वार।	01334–225125
14.	जिला पूर्ति अधिकारी, उधमसिंह नगर।	05944–242458
15.	जिला पूर्ति अधिकारी, नैनीताल।	05942–235170
16.	जिला पूर्ति अधिकारी, अल्मोड़ा।	05962–230646
17.	जिला पूर्ति अधिकारी, बागेश्वर।	05963–221180
18.	जिला पूर्ति अधिकारी, पिथौरागढ़।	05964–225283
19.	जिला पूर्ति अधिकारी, चम्पावत।	05965–222746

## **कार्यालयों के खुलने, बन्द होने का समय व अवकाश**

आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधीनस्थ सभी कार्यालयों का राज्य सरकार के अन्य कार्यालयों की भाँति खुलने का समय प्रातः 10.00 बजे एवं बन्द होने का समय साँच्य 05.00 बजे है। भोजनावकाश के लिये 13.30 बजे से 14.30 बजे के मध्य कार्यालय अध्यक्ष द्वारा आधा घण्टे का समय अनुमन्य है।

आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधीनस्थ सभी कार्यालयों का राज्य सरकार के अन्य कार्यालयों की भाँति प्रत्येक रविवार, द्वितीय शनिवार व राज्य सरकार द्वारा घोषित सार्वजनिक अवकाश के दिन बन्द रहते हैं।

### **खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के कृत्य व दायित्व**

उत्तर प्रदेश शासन के अन्तर्गत आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग के जो कृत्य व दायित्व थे, उत्तराखण्ड शासन ने उन कृत्य व दायित्वों में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

उत्तराखण्ड राज्य गठन के उपरान्त उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या— 305 (ए) खाद्य/2002—देहरादून दिनांक 21-03-2003 के द्वारा उत्तराखण्ड अनुसूचित वस्तु वितरण आदेश 2003 लागू किया गया जिसके अनुसार कतपिय अनुसूचित वस्तुओं ( Scheduled commodities) का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है। अधिसूचना की प्रति इस मेनूअल के साथ संलग्न है।

विभागीय कृत्य एवं दायित्व के निर्वहन हेतु आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधीन निम्न शाखायें/विभाग गठित हैं :—

- वित्त शाखा
- विपणन शाखा
- आपूर्ति शाखा

आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के कृत्य व दायित्व उपरोक्त तीनों शाखाओं द्वारा निम्नानुसार सम्पादित किये जा रहे हैं :—

### **विभाग की वित्त शाखा के मुख्य कृत्य**

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, की लेखा—शाखा के मुख्य कार्य व दायित्व निम्न हैं :—

- स्टेटपूल/केन्द्रीयपूल योजनाओं के खाद्यान्नों का भुगतान करना।
- केन्द्रीयपूल के अन्तर्गत सम्प्रेक्षक लेवी चावल के मूल्य की प्रतिपूर्ति भारतीय खाद्य निगम से करना।
- स्टेटपूल में क्रय खाद्यान्न की सब्सिडी केन्द्र सरकार से प्राप्त करना।
- विभागीय गोदामों का सम्प्रेक्षण करना।

- चीनी तथा ए०पी०एल०, बी०पी०एल० एवं अन्त्योदय योजनाओं में बिक्री के खाद्यान्नों के मूल्य का सत्यापन करना।
- विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों को वित्तीय परामर्श देना।

### **विभाग की विपणन शाखा के कृत्य व दायित्व**

- विपणन शाखा का कार्य भारत सरकार की जन वितरण प्रणाली एवं विभिन्न खाद्यान्न केन्द्रित योजनाओं के अन्तर्गत पात्र उपभोक्ताओं को खाद्यान्न/चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाना एवं मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत राज्य के कृषकों को उनकी उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर कृषकों का गेहूँ/धान का क्रय करना है एवं उसका केन्द्रीय पूल/स्टूट पूल, जैसी भी स्थिति हो, में सम्प्रदान करना है।
- लोक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य हेतु आवंटित खाद्यान्न के मासिक आवंटन के आधार पर राज्य की आवश्यकता के अनुरूप केन्द्रीय पूल (भारतीय खाद्य निगम) या स्टेट पूल, जैसी भी स्थिति हो, से खाद्यान्न की प्राप्ति कर उसका संग्रह, ब्लॉक/वितरण गोदामों तक उसका परिवहन एवं राजकीय उचित दर की दुकानों को उसका निर्गमन किया जाना भी विपणन शाखा के कार्यों के अन्तर्गत आता है।
- भारत सरकार की विभिन्न खाद्यान्न केन्द्रित योजनाओं यथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (ए०पी०एल०/बी०पी०एल०/अन्त्योदय) के अन्तर्गत राजकीय उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराना।
- इसके अतिरिक्त अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत लाभार्थियों को भी राजकीय उचित दर विक्रेताओं के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा पोषित सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (ग्राम्य विकास विभाग की योजना) एवं मध्याहन भोजन योजना (शिक्षा विभाग की योजना) के अन्तर्गत भी खाद्य विभाग एक नोडल ऐजेन्सी के रूप में कार्य करता है।
- भारत सरकार के शर्करा निदेशालय से राज्य हेतु आवंटित चीनी सम्बन्धित चीनी मिलों से प्राप्त करना, उसका संभरण करना एवं आवंटन के अनुरूप जनपदों के वितरण/ब्लॉक स्तरीय गोदामों तक पहुँचाना है।
- उक्त के अतिरिक्त लेवी योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर चावल मिलों से लेवी चावल का क्रय एवं उसका केन्द्रीय पूल/स्टूट पूल, जैसी भी स्थिति हो, में सम्प्रदान करना है।

### **विपणन शाखा के अन्तर्गत संग्रहण गोदाम**

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की विपणन (Marketing) शाखा के अधीन संग्रहण गोदाम हैं। जिनमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये क्रय/प्राप्त किये जाने वाले खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) व चीनी का संग्रहण किया जाता है। तदोपरान्त राज्य सरकार द्वारा आवंटन के आधार पर इन गोदामों से खाद्यान्न व चीनी की आपूर्ति मैदानी

क्षेत्रों में सरकारी सस्ते गल्ले के विक्रेताओं को एवं पर्वतीय क्षेत्र में आपूर्ति शाखा के आन्तरिक गोदामों को की जाती है। आपूर्ति शाखा के आन्तरिक गोदामों के लिये खाद्यान्न व चीनी प्राप्त व प्रेषित करने का उत्तरदायित्व आपूर्ति शाखा के अधिकारियों/कर्मचारियों का है। विपणन शाखा के संग्रहण गोदामों के नाम व उनकी संग्रहण क्षमता (मीटन में) निम्नवत है :—

क्र0 सं0	सभाग का नाम	जनपद का नाम	बेस/ब्लॉक गोदामों का नाम	खाद्य विभाग की विपणन शाखा के नियमित केन्द्रों पर उपलब्ध संग्रहण क्षमता			कुल क्षमता
				सरकारी	किराये के	पी०सी० एफ० से किरायेदारी में	
1	गढ़वाल सभाग	देहरादून	विकासनगर	850	1256	—	2106
			सहसपुर	—	—	250	250
			देहरादून	1500	—	—	1500
			नकराँदा	2000	—	—	2000
			डोईवाला	—	—	1000	1000
			ऋषिकेश	—	250	1500	1750
			ज्वालापुर	6000	—	—	6000
		हरिद्वार	रुडकी	1000	—	—	1000
			बहादराबाद	—	1075	—	1075
			लक्सर	—	879	—	879
			मंगलौर	—	1216	—	1216
			भगवानपुर	—	960	—	960
			पौड़ी गढ़वाल	1350	—	—	1350
			कोटद्वार	12700	5636	2750	21086
2	कुमाऊँ सभाग	नैनीताल	हल्द्वानी	2200	—	—	2200
			रामनगर	2000	240	—	2240
		उथम सिंह नार	रुद्रपुर	4000	—	—	4000
			बाजपुर	—	608	—	608
			सितारगंज	—	800	—	800
			किछ्छा	3000	—	—	3000
			खटीमा	—	796	—	796
			जसपुर	—	720	—	720
			काशीपुर	—	2000	—	2000
			गदरपुर	—	500	—	500
			चम्पावत	4200	—	—	4200
			टनकपुर	15400	5664	—	21064
		योग		28100	11300	2750	42150

### **मूल्य समर्थन योजना/लेवी योजना के अन्तर्गत गेहूँ/धान/चावल का क्रय**

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की विपणन शाखा द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार की नीति व निर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012–2013 में मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत गेहूँ खरीद एवम् वित्तीय वर्ष 2011–12 में मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत धान खरीद तथा लेवी योजनान्तर्गत चावल का निम्नवत मात्रा में क्रय किया गया :—

#### **गेहूँ**

(मात्रा मी०टन में)

रबी खरीद वर्ष	क्रय एजेन्सीयों का नाम			क्रय की गई कुल मात्रा
	खाद्य विभाग	सहकारिता विभाग	भारतीय खाद्य निगम	
2012-2013	14456.400	100861.076	24051.250	139368.726

#### **धान**

(मात्रा मी०टन में)

क्र० सं०	खरीफ-खरीद वर्ष	क्रय एजेन्सीयों का नाम			क्रय की गई कुल मात्रा
		खाद्य विभाग	सहकारिता विभाग	भारतीय खाद्य निगम	
1.	2011-2012 दिनांक 30-06-2012 तक	4335.160	11673.550	2830.160	18838.870

#### **लेवी चावल**

(मात्रा मी०टन में)

क्र०सं०	वर्ष	लेवी चावल का सम्प्रदान		कुल खरीद
		केन्द्रीय पूल	स्टेट पूल	
1.	2011-2012 दिनांक 30-06-2012 तक	207284.000	159006.000	366290.000

## खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आपूर्ति शाखा के कृत्य व दायित्व

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आपूर्ति शाखा के कृत्य व दायित्व निम्नवत हैं :—

- राज्य के प्रत्येक जनपद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आन्तरिक गोदामों में उनके क्षमता के अनुसार खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु नियमित monitoring कर राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करना ।
- बेस गोदामों से आन्तरिक गोदामों के लिये खाद्यान्न प्रेषण की स्थिति को नियमित रूप से monitoring कर राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन कराना ।
- जनपदों से उपयोगिता प्रमाण पत्रों के संकलन के माध्यम से यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक योजना की खाद्यान्न नियमित रूप से लाभार्थियों को प्राप्त हो रहा है ।
- जनपदों में राशन की दुकानों की रिक्ति की स्थिति संकलित करते हुये नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही की monitoring कर राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन करना ।
- विशेषतः मध्याहन भोजन योजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों के सभीपस्थ स्थानों पर राशन की दुकानों के खोले जाने की कार्यवाही की monitoring कर उत्तराखण्ड शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करना ।
- खाद्यान्न के अलावा अन्य आवश्यक वस्तुयें, मिट्टी तेल, घरेलू गैस, डीजल-पेट्रोल की प्रत्येक जनपद में उपलब्धता बनाये रखने हेतु मुख्यालय स्तर पर monitoring कर सम्बन्धित अधिनियम व उत्तराखण्ड शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना ।
- कतिपय जनपदों में जिलाधिकारी द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जिला पूर्ति अधिकारियों द्वारा रैन्ट कन्ट्रोल अधिनियम के अन्तर्गत रैन्ट कन्ट्रोल अधिकारी के दायित्वों का सम्पादन किया जा रहा है ।
- विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर सस्ते गल्ले की दुकानों एवं आन्तरिक गोदामों का निरीक्षण करना ।

## आपूर्ति शाखा के आन्तरिक गोदाम

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्न व चीनी के भण्डारण हेतु प्रत्येक पर्वतीय क्षेत्र में आपूर्ति शाखा के आन्तरिक गोदाम हैं। इन गोदामों से खाद्यान्न/चीनी का वितरण अधिकृत राशन विक्रेताओं को किया जाता है। अधिकृत राशन विक्रेताओं को जारी की जाने वाली खाद्यान्न/चीनी की मात्रा कार्ड धारकों की संख्या के आधार पर भारत सरकार व उत्तराखण्ड शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा किया जाता है। माह जून, 2010 तक

उत्तराखण्ड राज्य में जनपदवार आन्तरिक गोदामों की संख्या निम्नवत थी :—

क्र०सं०	जनपद का नाम	गोदामों की संख्या	राजकीय गोदामों के नाम	गोदामों की क्षमता	किराये के गोदामों के नाम	गोदामों की क्षमता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	देहरादून	07				
			(i) त्यूनी	300.00 M.T		
			(ii) चकराता	500.00 M.T		
					(i) कालसी	866.00 M.T
					(ii) लाखामण्डल	174.00 M.T
					(iii) अटाल	40.00 M.T
					(iv) कोरवा	197.00 M.T
					(v) सावड़ा	88.00 M.T
2.	चम्पावत	06				
			(i) लोहाघाट	500.00 M.T		
			(ii) घूनाघाट	500.00 M.T		
			(iii) चम्पावत (जूण)	500.00 M.T		
			(iv) तामली	100.00 M.T		
					(i) बाराकोट	200.00 M.T
					(ii) मंच	120.00 M.T
3.	उत्तरकाशी	15				
			(i) झाला	300.00 M.T		
			(ii) भटवाड़ी	200.00 M.T		
			(iii) नैताला	2500.00 M.T		
			(iv) झानसू	400.00 M.T		
			(v) चिन्यालीसौड़	400.00 M.T		
			(vi) बड़कोट	580.00 M.T		
			(vii) पुरोला	250.00 M.T		
			(viii) धौन्तरी	300.00 M.T		
			(ix) आराकोट	300.00 M.T		

					<b>(i) जखोल</b>	111.00 M.T
					<b>(ii) दोणी</b>	95.00 M.T
					<b>(iii) तालुका</b>	75.00 M.T
					<b>(iv) नैटवाड़</b>	94.00 M.T
					<b>(v) बनचौरा</b>	170.00 M.T
					<b>(vi) डामटा</b>	135.00 M.T
<b>4.</b>	<b>नैनीताल</b>	<b>5</b>				
			<b>(i) ओखलकांडा</b>	200.00 M.T		
			<b>(ii) बेतालघाट</b>	250.00 M.T		
			<b>(iii) मेहरागाँव</b>	1500.00 M.T		
			<b>(iv) सरना</b>	400.00 M.T		
			<b>(v) कोटाबाग</b>	250.00 M.T		
<b>5.</b>	<b>टिहरी</b> <b>गढ़वाल</b>	<b>29</b>				
			<b>(i) नई टिहरी</b>	1197.00 M.T		
			<b>(ii) घनसाली</b>	300.00 M.T		
			<b>(iii) कीर्तिनगर</b>	400.00 M.T		
			<b>(iv) जामणीखाल</b>	1000.00 M.T		
			<b>(v) कैम्पटी</b>	300.00 M.T		
			<b>(vi) थत्यूड़</b>	700.00 M.T		
					<b>(i) चौदह बीघा</b>	280.00 M.T
					<b>(ii) सुनहरीगाड़</b>	115.9 M.T
					<b>(iii) धोपड़धार</b>	101.3 M.T
					<b>(iv) लम्बगाँव</b>	263.7 M.T
					<b>(v) भैतलाखाल</b>	23.00 M.T
					<b>(vi) भवान</b>	210.00 M.T
					<b>(vii) गूलर</b>	189.00 M.T
					<b>(viii) काण्डाखाल</b>	83.8 M.T

					<b>(ix) छाम</b>	205.00 M.T
					<b>(x)</b> अनालगॉव	90.00 M.T
					<b>(xi) चम्बा</b>	363.5 M.T
					<b>(xii) गजा</b>	315.5 M.T
					<b>(xiii)</b> हुलाणाखाल	117.3 M.T
					<b>(xiv)</b> धमातोली	117.00 M.T
					<b>(xv) चौकी</b>	67.2 M.T
					<b>(xvi)</b> देवप्रयाग	298.00 M.T
					<b>(xvii)</b> धारकोट	101.2 M.T
					<b>(xviii)</b> चमियाला	461.1 M.T
					<b>(xix) मन्दार</b>	31.5 M.T
					<b>(xx)</b> मरोड़ापुल	175.2 M.T
					<b>(xxi)</b> नैनबाग	50.00 M.T
<b>6.</b>	<b>पौड़ी</b> <b>गढ़वाल</b>	<b>22</b>				
			<b>(i) दुगड़ा</b>	1000.00 M.T		
			<b>(ii) चेलूसैंण</b>	300.00 M.T		
			<b>(iii) गैण्डखाल</b>	100.00 M.T		
			<b>(iv) अदवाणी</b>	300.00 M.T		
			<b>(v) पौड़ी</b>	1500.00 M.T		
			<b>(vi) खोलाचौरी</b>	200.00 M.T		
			<b>(vii) अमोठा</b>	500.00 M.T		
			<b>(viii) चाकीसैंण</b>	300.00 M.T		
			<b>(ix) बाघाट</b>	1000.00 M.T		
			<b>(x) शलीसैंण</b>	500.00 M.T		
			<b>(xi) श्रीनगर</b>	500.00 M.T		
			<b>(xii) जड़ाउखाल</b>	500.00 M.T		

			<b>(xiii) भड़त</b>	100.00 M.T		
			<b>(xiv) देवराड़ी देवी</b>	300.00 M.T		
					<b>(i) पौखाल</b>	44.4 M.T
					<b>(ii) काण्डी</b>	127.1 M.T
					<b>(iii) लैन्सडौन</b>	98.5 M.T
					<b>(iv) रिखणीखाल</b>	149.6 M.T
					<b>(v) नौगाव खाल</b>	70.00 M.T
					<b>(vi) बीरोंखाल</b>	372.6 M.T
					<b>(vii) पावौं</b>	129.00 M.T
					<b>(viii) उफरैंखाल</b>	130.6 M.T
<b>7.</b>	<b>रुद्रप्रयाग</b>	<b>11</b>				
			<b>(i) रुद्रप्रयाग</b>	190.00 M.T		
			<b>(ii) उखीमठ</b>	500.00 M.T		
			<b>(iii) गुप्तकाशी</b>	95.00 M.T		
			<b>(iv) मयाली</b>	500.00 M.T		
					<b>(i) तिलवाड़ा</b>	261.00 M.T
					<b>(ii) रामपुर</b>	110.00 M.T
					<b>(iii) चोपता (दुर्गाधार)</b>	168.00 M.T
					<b>(v) पौंछी</b>	98.00 M.T
					<b>(vi) बसुकेदार</b>	195.00 M.T
					<b>(vii) घोलतीर</b>	210.00 M.T
					<b>(viii) केदारनाथ (सीजनल)</b>	20.00 M.T
<b>8.</b>	<b>चमोली</b>	<b>16</b>				
			<b>(i) बद्रीनाथ</b>	100.00 M.T		



					<b>(v) भनोली</b>	97.70 M.T
					<b>(vi) ध्याड़ी</b>	100.60 M.T
					<b>(vii) दन्या</b>	400.20 M.T
					<b>(viii) बगवालीपोखर</b>	144.30 M.T
					<b>(ix) सोनी</b>	94.40 M.T
					<b>(x) चौखुटिया</b>	171.70 M.T
					<b>(xi) स्यालदैं</b>	173.00 M.T
					<b>(xii) भतरौजखान</b>	229.50 M.T
					<b>(xiii) भिक्यारसैन</b>	304.00 M.T
<b>10.</b>	<b>बागेश्वर</b>	<b>17</b>				
			<b>(i) बागेश्वर</b>	500.00 M.T		
			<b>(ii) काफली</b>	300.00 M.T		
			<b>(iii) काण्डा</b>	300.00 M.T		
			<b>(iv) गरुड़</b>	500.00 M.T		
			<b>(v) खाती</b>	100.00 M.T		
			<b>(vi) लोहारखेत</b>	100.00 M.T		
			<b>(vii) बगर</b>	100.00 M.T		
			<b>(viii) उगिया</b>	100.00 M.T		
			<b>(ix) सामा</b>	100.00 M.T		
					<b>(i) हरसिला</b>	81.2 M.T
					<b>(ii) भराड़ी</b>	129.30 M.T
					<b>(iii) लीती</b>	101.4 M.T
					<b>(iv) मल्खाडुंगर्चा</b>	54.00 M.T
					<b>(v) तलाई</b>	151.5 M.T
					<b>(vi) बाछम</b>	77.5 M.T
					<b>(vii) बदियाकोट</b>	185.5 M.T
					<b>(viii) कर्मी</b>	162.4 M.T

<b>11.</b>	<b>पिथौरागढ़</b>	<b>25</b>				
			(i) पिथौरागढ़	1100.00 M.T		
			(ii) मूनाकोट	1700.00 M.T		
			(iii) कनालीछीना	200.00 M.T		
			(iv) डीडीहाट	400.00 M.T		
			(v) अस्कोट	200.00 M.T		
			(vi) बेरीनाग	200.00 M.T		
			(vii) थल	200.00 M.T		
			(viii) तेजम	400.00 M.T		
			(ix) मुनिस्यारी	400.00 M.T		
			(x) मदकोट	400.00 M.T		
			(xi) धारचुला	400.00 M.T		
			(xii) तवाघाट	500.00 M.T		
			(xiii) पॉगू	200.00 M.T		
			(xiv) गंगोलीहाट	344.00 M.T	(i) गुंजी (सीजनल)	198.00 M.T
					(ii) दुन्तू (सीजनल)	67.00 M.T
					(iii) बुर्फू (सीजनल)	135.00 M.T
					(iv) उक्षैती	70.00 M.T
					(v) पांगला	80.00 M.T
					(vi) गनाई गंगोली	206.00 M.T
					(vii) बूँगाछीना	65.00 M.T
					(viii) गुरना	132.00 M.T
					(ix) होकरा	22.00 M.T
					(x) नामिक	25.00 M.T
					(xi) सिर्दांग	45.00 M.T

**उत्तराखण्ड राज्य में उचित दर की दुकानों की संख्या:-**

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कार्ड धारक लक्षित समूह के परिवारों को खाद्यान्न / चीनी का वितरण उचित दर की दुकानों के माध्यम से किया जाता है।

उत्तराखण्ड में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के नियंत्रणाधीन उचित दर की दुकानों की जनपदवार संख्या निम्नवत हैं :—

(जुलाई, 2012)

क्र0सं0	जनपद का नाम	कुल दुकानों की संख्या		
		शहरी	ग्रामीण	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	देहरादून	329	611	940
2.	हरिद्वार	123	394	517
3.	उत्तरकाशी	13	520	533
4.	चमोली	32	740	772
5.	पौड़ी	55	866	921
6.	टिहरी	33	1026	1059
7.	रुद्रप्रयाग	6	372	378
8.	नैनीताल	142	442	584
9.	अल्मोड़ा	42	903	945
10.	पिथौरागढ़	50	716	766
11.	उधमसिंहनगर	202	410	612
12.	बागेश्वर	3	430	433
13.	चम्पावत	11	321	332
	योग	1041	7751	8792

### शहरी व ग्रामीण राशन कार्ड धारकों की संख्या

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बी0पी0एल0, अन्त्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना एवं ए0पी0एल0 योजना के राशन कार्ड धारकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न (गेहूँ/चावल), चीनी एवं मिट्टी तेल का वितरण उचित दर विक्रेताओं के द्वारा राशन कार्ड के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2012–13 में उत्तराखण्ड राज्य में राशन कार्ड धारकों की संख्या निम्नवत है :—

(जुलाई, 2012)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	(पीला) ए0पी0एल0 राशन कार्ड			(सफेद) बी0पी0एल0 राशन कार्ड			(गुलाबी) अन्त्योदय राशन कार्ड		
		ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	पौड़ी गढ़वाल	136027	27413	163440	17138	155	17293	15669	453	16122
2	रुद्रप्रयाग	41780	1834	43614	10472	114	10586	4563	54	4617

<b>3</b>	<b>टिहरी गढ़वाल</b>	114295	12705	127000	25520	74	25594	24084	72	24156
<b>4</b>	<b>उत्तरकाशी</b>	42109	4296	46405	14501	222	14723	13511	206	13717
<b>5</b>	<b>हरिद्वार</b>	234069	113353	347422	32782	5307	38089	30195	4939	35134
<b>6</b>	<b>देहरादून</b>	184945	181700	366645	27344	6072	33416	11898	2677	14575
<b>7</b>	<b>चमोली</b>	59012	9854	68866	12059	8373	20432	7336	1576	8912
<b>8</b>	<b>नैनीताल</b>	141083	89811	230894	17252	2133	19385	16364	1696	18060
<b>9</b>	<b>अल्मोड़ा</b>	97516	14803	112319	33327	444	33771	14524	205	14729
<b>10</b>	<b>पिथौरागढ़</b>	74447	14859	89306	24832	234	25066	10585	348	10933
<b>11</b>	<b>उधमसिंहनगर</b>	203629	129261	332890	33511	6130	39641	14478	2811	17289
<b>12</b>	<b>बागेश्वर</b>	40772	1883	42655	15297	164	15461	6671	72	6743
<b>13</b>	<b>चम्पावत</b>	32108	5959	38067	13553	64	13617	5756	183	5939
	<b>योग</b>	<b>1401792</b>	<b>607731</b>	<b>2009523</b>	<b>277588</b>	<b>29486</b>	<b>307074</b>	<b>175634</b>	<b>15292</b>	<b>190926</b>

### खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित खाद्यान्न योजनायें

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के नियंत्रणाधीन वर्तमान में निम्न खाद्यान्न योजनायें संचालित की जा रही हैं :—

#### 1. बी०पी०एल० योजना

- अ— बी०पी०एल० परिवारों को Subsidized Rate पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्राविधान है।
- ब— उत्तराखण्ड राज्य में बी०पी०एल० योजना के अन्तर्गत **4,98,000 बी०पी०एल०** परिवारों का चयन किया गया है, जिसमें अन्त्योदय परिवार भी सम्मिलित हैं।
- स— इस योजना के अन्तर्गत बी०पी०एल० परिवारों को सफेद रंग का राशन कार्ड निर्गत किया जाता है, जिसके लिये पात्र व्यक्तियों द्वारा नगरीय क्षेत्रों में आपूर्ति कार्यालय से एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लाक कार्यालय से निशुल्क फार्म प्राप्त किया जा सकता है।
- द— इस योजना के अन्तर्गत प्रति राशन कार्ड (प्रति परिवार) **35 किलो ग्राम** खाद्यान्न प्रति माह पात्र परिवारों को उपलब्ध कराया जाता है।
- य— राज्य के हरिद्वार जनपद को छोड़कर अन्य जनपदों में प्रति राशन कार्ड **24.750 किलो ग्राम** चावल एवम् **10.250 किलो ग्राम** गेहूँ उपलब्ध कराया जाता है। हरिद्वार जनपद में **12.140 किलो ग्राम** चावल तथा **22.860 किलो ग्राम** गेहूँ उपलब्ध कराया जाता है।
- र— इस योजना के अन्तर्गत पात्र परिवारों को **6.15 प्रति किलो ग्राम चावल एवम् 4.65 प्रति किलो ग्राम गेहूँ** उपलब्ध कराया जाता है।
- ल— राज्य सरकार द्वारा माह फरवरी, 2011 से बी०पी०एल० परिवारों को **3.00 प्रति किलो ग्राम चावल एवम् 2.00 प्रति किलो ग्राम गेहूँ** उपलब्ध कराया जा रहा है।

गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के चिन्हीकरण विषयक उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या—437 / 29—खाद्य—डैस्क—1—1191 / 97 खाद्य डैस्क इकाई—अनुभाग लखनऊ दिनांक 20—09—1991 एवं भारत सरकार व

उत्तराखण्ड सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों की प्रति विभाग के सूचना मैनुअल-5 में प्रकाशित की गयी हैं।

## 2. अन्त्योदय अन्न योजना

- अ— इस योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय परिवारों को गुलाबी रंग का राशन कार्ड निर्गत किया जाता है, जिसके लिये पात्र व्यक्तियों द्वारा नगरीय क्षेत्रों में आपूर्ति कार्यालय से एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लाक कार्यालय से निशुल्क फार्म प्राप्त किया जा सकता है।
- ब— इस योजना के अन्तर्गत प्रति राशन कार्ड (प्रति परिवार) 35 किलो ग्राम खाद्यान्न प्रति माह पात्र परिवारों को उपलब्ध कराया जाता है।
- स— राज्य के सभी जनपदों में प्रति राशन कार्ड **24.540 किलो ग्राम चावल एवं 10.460 किलो ग्राम गेहूँ** उपलब्ध कराया जाता है।
- द— इस योजना के अन्तर्गत पात्र परिवारों को रूपये 3.00 प्रति किलो ग्राम चावल एवं रूपये 2.00 प्रति किलो ग्राम गेहूँ उपलब्ध कराया जाता है।

भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑफिस मैमोरेडम संख्या-6(9)/2000-PDI(PT) दिनांक 06-01-2001 के द्वारा योजना से सम्बन्धित दिशा-निर्देश की प्रति जो उत्तराखण्ड सरकार के पत्रांक-214/अ0अ0यो0/स0खा0/कैम्प/2000-201 दिनांक 19-01-2001 के द्वारा प्राप्त हुई की प्रति विभाग के सूचना मैनुअल-5 में प्रकाशित की गयी है।

## 3. विस्तारित अन्त्योदय अन्न योजना

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या-196/2001 में केन्द्र सरकार को यह निर्देश दिये गये थे कि अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत समाज के असहाय एवं निराश्रित वर्ग के लोगों को भी अन्त्योदय अन्न योजना के लाभ से आच्छादित किया जाये।

इस आदेश के परिपेक्ष्य में केन्द्र सरकार द्वारा गत वर्ष विस्तारित अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत विधवाओं, असाध रोगों से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा चलाये जाने वाले परिवार, एकल पुरुष/एकल स्त्री एवं जनजाति परिवारों को लक्षित करते हुये उत्तराखण्ड के लिये **38,200 परिवारों** का लक्ष्य रखा गया था। विस्तारित अन्न योजनाओं के अन्तर्गत उपरोक्त लक्ष्य के सापेक्ष 38,240 पात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर लिया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के लिये विस्तारित अन्त्योदय अन्न योजना हेतु 36700 अतिरिक्त लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन लाभार्थियों का चयन किया जा चुका है।

योजना से सम्बन्धित दिशा-निर्देश जो भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पत्र संख्या-6(1)/2004 /PD-I(Uttaranchal) दिनांक 23-11-2004 के द्वारा प्राप्त हुये हैं, की प्रति विभाग के सूचना मैनुअल-5 में प्रकाशित की गयी है।

#### 4. ए०पी०एल० योजना

भारत सरकार के निर्देशानुसार ए०पी०एल० परिवारों को ' 8.45 प्रति किलो ग्राम चावल कॉमन एवम् ' 6.60 प्रति किलो ग्राम गेहूँ उपलब्ध कराया जाता है, परन्तु माह फरवरी, 2011 से राज्य सरकार ए०पी०एल० परिवारों को ' 6.00 प्रति किलो ग्राम की दर से चावल एवम् ' 4.00 प्रति किलो ग्राम की दर से गेहूँ उपलब्ध कराया जा रहा है।

योजना से सम्बन्धित केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों की प्रति विभाग के सूचना मैनुअल-5 में प्रकाशित की गयी है।

#### 5. मध्याहन भोजन योजना (शिक्षा विभाग एवं खाद्य विभाग द्वारा संचालित)

अ— सरकारी प्राईमरी स्कूलों तथा सरकारी सहायता प्राप्त प्राईमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 80 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर 10 माह का खाद्यान्न निशुल्क दिये जाने का प्राविधान है।

ब— सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में चलाये जाने वाले मध्याहन भोजन योजना के अन्तर्गत पके हुये भोजन की व्यवस्था पूर्ण रूप से उत्तराखण्ड राज्य में लागू कर दी गयी है।

योजना से सम्बन्धित प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, खाद्य तथा रसद अनुभाग-6 के पत्रांक-1045/29-खाद्य-6-2(23)/95 दिनांक 11-04-1997 के द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशों की प्रति विभाग के सूचना मैनुअल-5 में प्रकाशित की गयी है।

#### विभिन्न खाद्यान्न योजनाओं के लिये खाद्यान्नों की आपूर्ति

उक्त विभिन्न योजनाओं में वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत खाद्यान्न के आवंटन/उठान/वितरण की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :—

वर्ष	योजना का नाम	चावल		
		आवंटन	उठान	वितरण
2011-12	ए०पी०एल० योजना	160181.998	134365.348	134477.947
	बी०पी०एल० योजना	112504.500	105271.217	104373.176
	अन्त्योदय अन्न योजना	56220.000	54677.333	53206.537
वर्ष	योजना का नाम	गेहूँ		
		आवंटन	उठान	वितरण
2011-12	ए०पी०एल० योजना	255835.000	217948.609	213651.744
	बी०पी०एल० योजना	64218.499	58565.784	56245.089
	अन्त्योदय अन्न योजना	23964.000	22692.984	23306.476

## चीनी

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा ए०पी०एल०/बी०पी०एल०/अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत उचित दर की दुकानों के माध्यम से सभी राशन कार्ड धारकों को चीनी उपलब्ध करायी जाती है, जिसमें प्रति कार्ड धारक को निर्धारित मूल्य 13.50 प्रति किलोग्राम की दर से चीनी उपलब्ध करायी जा रही है। उचित दर के राशन विक्रेताओं को चीनी का वितरण मैनादी क्षेत्र में विपणन शाखा के संग्रहण गोदामों से और पर्वतीय क्षेत्र में आपूर्ति शाखा के आन्तरिक गोदामों के माध्यम से राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी के आवंटन के आधार पर किया जाता है।

## मिट्टी का तेल

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा ए०पी०एल०/बी०पी०एल०/अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों के लिये मिट्टी तेल का आवंटन किया जाता है। राज्य के मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में बिना गैस कनैक्शनधारी राशन कार्ड धारकों को निम्नानुसार मिट्टी तेल शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर दिया जाता है :—

क्रमांक	क्षेत्र	बिना गैस कनैक्शनधारी राशन कार्ड धारकों हेतु
1	मैदानी	05 लीटर
2	पर्वतीय	07 लीटर

## मिट्टी तेल/एल०पी०जी० गैस/डीजल/पेट्रोल पम्प विक्रेता

लक्षित समूह के कार्ड धारकों को मिट्टी तेल का वितरण उचित दर की दुकानों के माध्यम से किया जाता है। उचित दर की दुकानों को मिट्टी तेल की आपूर्ति उत्तराखण्ड शासन के निर्देशानुसार जिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी के आवंटन आदेश के आधार पर मिट्टी तेल के थोक विक्रेताओं द्वारा की जाती है।

डीजल, पैटोल, एल०पी०जी० गैस की एजेन्सियाँ/विक्रेता की नियुक्ति सम्बन्धित तेल/गैस कम्पनी द्वारा की जाती है। केवल डीजल पम्प के लाइसेंस जिलाधिकारी के स्तर से जारी किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तरांचल शासन की अधिसूचना संख्या-1396/xix/05-43-खाद्य/2004-देहरादून दिनांक 15-10-2005 के द्वारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग उत्तरांचलके अधिकारियों द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तरांचल शासन की अधिसूचना संख्या-1396/xix/05-43-खाद्य/2004-देहरादून दिनांक 15-10-2005 के द्वारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग उत्तरांचलके अधिकारियों द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तरांचल शासन की अधिसूचना संख्या-1396/xix/05-43-खाद्य/2004-देहरादून दिनांक 15-10-2005 के द्वारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग उत्तरांचलके अधिकारियों द्वारा की जाती है।

वर्ष 2012 (माह जुलाई, 2012) में उत्तराखण्ड राज्य में मिट्टी तेल/एल०पी०जी० गैस/डीजल/पेट्रोल पम्प विक्रेताओं की संख्या निम्नवत थी :—

## उत्तराखण्ड में जनपदवार गैस एजेन्सी/पैट्रोल/डीजल पम्प/मिट्टी तेल विक्रेताओं की संख्या

क्र०स०	जनपद का नाम	मिट्टी तेल विक्रेताओं की संख्या	डीजल/पैट्रोल पम्पों की संख्या	गैस एजेन्सियों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	पौड़ी गढ़वाल	09	18	18
2.	रुद्रप्रयाग	02	07	03
3.	टिहरी गढ़वाल	05	13	14
4.	उत्तरकाशी	04	05	06
5.	हरिद्वार	08	107	20
6.	देहरादून	15	82	38
7.	चमोली	02	10	08
8.	नैनीताल	10	51	11
9.	अल्मोड़ा	05	12	05
10.	पिथौरागढ़	06	11	06
11.	उधमसिंह नगर	16	125	19
12.	बागेश्वर	01	05	02
13.	चम्पावत	05	09	04
	योग	88	455	155

### खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का सिटीजन चार्टर

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड का सिटीजन चार्टर सभी अधीनस्थ अधिकारियों को प्रेषित किया जा चुका है। विभाग के सिटीजन चार्टर की प्रति मैनुअल-17 में संलग्न की गयी है।

\*\*\*\*\*